बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(शेखपुरा)–21 / 2021.8360 **पटना, दिनांक** :05/10/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक 676 दिनांक 18.07.2023 द्वारा श्री अमृत कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04223) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा आवंटित राजस्व ग्राम में प्रतिदिन औसतन 17 खेसरा का खानापुरी कार्य किया जा रहा है एवं ये लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाते हैं। साथ ही मुख्यालय स्तर एवं समाहर्त्ता, शेखपुरा के स्तर पर समीक्षात्मक बैठक में भी ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के साथ प्रतिवेदन मांगे जाने पर गलत प्रतिवेदन देते है एवं वरीय पदाधिकारियों के निदेश का अनुपालन नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि इनका कार्य पूर्व में संतोषजनक नहीं रहने के कारण बंदोबस्त कार्यालय के पत्रांक 108 दिनांक 22.02.2023 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अनुपस्थित अवधि का मानदेय कटौती करते हुए आरोप से मुक्त किया गया है। इनके कार्य शैली में कोई सुधार नहीं हो पाने के कारण संविदा समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 6205 दिनांक 07.08.2023 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा खानापुरी कार्य लगभग समाप्त कर लिया गया है एवं खानापुरी प्रतिदिन औसतन 30 खेसरा है तथा बैठक में प्रतिवेदन देने पर ही औसतन 17 खेसरा प्रतिवेदित किया गया है। अनुपस्थिति के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि ये हमेशा कार्य के प्रति सजग रहते है, जिसके लिए साक्ष्य के रूप में इनके द्वारा उपस्थिति पंजी की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इन पर लगाए गए आरोप तदनुसार आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित को पूर्व आवंटित राजस्व ग्राम में खेसरा की संख्या मात्र 75 थी, इसके बावजूद इनके द्वारा किस्तवार कार्य में 463 दिनों का समय लिया गया है। इनको आवंटित वर्त्तमान राजस्व ग्राम का भी खानापुरी कार्य संतोषप्रद नहीं है। साथ ही आरोपित द्वारा यह कहा जाना कि लगभग कार्य समाप्त कर लिया गया है, इनके कार्य शैली को स्वतः परिलक्षित करता है। इनके विरूद्ध पूर्व में भी बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 108 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने, महीला शिविर प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ कार्यक्षेत्र से प्रायः अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन दिया गया था। उक्त के आलोक में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में इस तरह की गलती की पुनरावृति नहीं करने का दिए गए आश्वासन के दृष्टिगत अनुपस्थित अवधि का मानदेय कटौती करते हुए चेतावनी दी गयी थी की यदि इस तरह की पुनरावृति की जाएगी तो इनका संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। वर्तमान प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि इन्हें अपने कार्य के प्रति कोई रूचि नहीं है एवं इस तरह के कार्यशैली के यह आदतन हैं।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण किया जाना है। इस तरह के कार्यशैली, शिथिलता एवं लापरवाह कर्मी के रहते महत्वाकांक्षी योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मात्र सेवा को बनाए रखने के लिए समय–समय पर अतर्कसंगत बात को अमान्य करते हुए इनका संविदा नियोजन कार्यहित में उचित नहीं है।

क्र०पृ०उ०

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री अमृत कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04223) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

29/9/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(शेखपुरा)–21 / 2021 8360 **पटना, दिनांक** :– 05/10/2023

प्रतिलिपि :– श्री अमृत कुमार विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN04223), बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(शेखपुरा)–21 / 2021 8360 **पटना, दिनांक** :– 05/10/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(शेखपुरा)–21 / 2021 8360 **पटना, दिनांक** :– 05/10/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित श्री अमृत की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/9/23

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप